न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 137/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

भागचन्द, आयु 55 वर्ष पुत्र श्री गिरधारी, जाति मीणा, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

रूद्रप्रताप सिंह पुत्र भानुप्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी छत्रपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री रघुवीर सिंह मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 47/2012 निर्णय दिनांक 20.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश

कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां में वादी रेस्पोडेंट के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 52 का रकबा 1.35 हेक्टर स्थित है जिसके लगवा दक्षिण में प्रतिवादी भागचन्द के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 52/647 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 1.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.38 हेक्टर स्थित है । जिसके दक्षिण में सरकारी बंजड़ खसरा नम्बर 70 रकबा 1.40 हेक्टर सरकारी आम रास्ता (गडार) ग्राम बरला जाने का रास्ता है । वादी रेस्पोडेंट के खेत नम्बर 52 पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादी अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 52/647, खसरा नम्बर 53 व खसरा नम्बर 55 के पूर्वी साईड में पट्टीनुमा 100 वर्ष पुराना रास्ता बना हुआ है । यह रास्ता वर्तमान में 20 से 25 फुट चौड़ाई में स्थित है । प्रतिवादी भागचन्द ने वादी रूद्रप्रताप सिंह के खेत पर आने जाने के रास्ते को स्थाई रूप से बन्द करने के आशय से दिनांक 08.05.2012 को रास्ते में पत्थर डलवाकर दिनांक 15.05.2012 को वादी के खेत में आने जाने के रास्ते को बिना कोई कानूनी अधिकारों के बन्द कर दिया है जिससे वादी अपने खेत खसरा नम्बर 52 को ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि यन्त्र आदि ले जाने में व्यवधान हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू ने अपील स्वीकार किया तथा आदेशित किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 1.35 हेक्टर हेतु उत्तरी हेतु नियमानुसार डी एल सी की डबल राशि जमा करवाकर खसरा नम्बर 55, 53, व 52/647 की पूर्वी मेड़ से 168 X 3 = 504 मीटर = 0.05 हेक्टर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये हैं, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध वादी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया था जिसे दिनांक 20.06.2017 को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि

विवादित आराजी वाके माल दड़ा तहसील अटरू की खसरा नम्बर 52 रकबा 1.35 हेक्टर हेतु नियमानुसार डी एल सी की डबल राशि जमा करवा कर खसरा नम्बर 52/647 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 1.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.38 हेक्टर की पूर्वी मेड़ से 168 X 3 = 504 मीटर = 0.05 हेक्टर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है । अपीलांट प्रतिवादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 90 से खसरा नम्बर 52/647 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 1.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 57/646 रकबा 0.08 हेकटर, खसरा नम्बरा 375 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.02 हेक्टर कुल 7 किता की 2.56 हेक्टर तथा रेस्पोडेंट वादी के स्वामित्व की खसरा नम्बर 52 रकबा 1.35 हेक्टर आराजी स्थित है । अपीलांट की आराजी के दक्षिणी साईड में सरकारी बंजड़ भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 1.04 हेक्टर ग्राम बरला जाने का आम रास्ता (गडार) स्थित है । रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 52 पर आने जाने का रास्ता अपीलांट प्रतिवादी के खेत में होकर नहीं है । अपीलांट के खेत पर जाने का रास्ता खसरा नम्बर 23 जो बंजड़ दर्ज है के यहां होकर है । रेस्पोडेंट प्रार्थी ने खसरा नम्बर 51, 52/648, 53/649 जो मदनलाल पुत्र धूलीलाल हरिजन के खाते दर्ज है पर जबरन कब्जा कर रखा है तथा अपीलांट के खेत में होकर जबरन दादागिरी के बल पर रास्ता बनाकर निकालना चाहता है जिसका रेस्पोडेंट प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है फिर भी धारा 251 (क) के तहत नया रास्ता कायम किया गया है । रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नहीं है कि वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पत्रावली तलबी में लम्बित थी, बिना पक्षकारों की तलबी किये, बिना जवाबदेही का अवसर दिये लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) को स्वीकार कर दिनांक 20.06.2017 को उनके खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 पर कृषि कार्यों हेतु आने जाने के लिए अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 52 रकबा 1.35 हेक्टर हेतु उत्तरी हेतु नियमानुसार डी एल सी की डबल राशि जमा करवाकर खसरा नम्बर 55, 53, व 52/647 की पूर्वी मेड़ से 168 X 3 = 504 मीटर = 0.05 हेक्टर रास्ता कायम करने की आज्ञा दी गई है, जो सही है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 वाके ग्राम दड़ा खाता संख्या 90, नवीन नक्शा ट्रेस वाके ग्राम दड़ा खसरा नम्बर 40, 41, 45, 23, 52, 52/648 इत्यादि व खसरा गिरदावरी सम्वत 2067–70 वाके ग्राम दडा पेश की जिन पर कोई एक्जीविट नम्बर अंकित नहीं है । अपीलांट की ओर से बयान रामदयाल पुत्र पन्ना लाल पी डब्ल्यू 1, देवकिशन मीणा पुत्र गोपाल मीणा पी डब्ल्यू 2, छीतर लाल पुत्र लक्ष्मण नागर पी डब्ल्यू 3, खेमराज पुत्र रामचरण पी डब्ल्यू 4, अमर लाल पुत्र छोटूलाल पी डब्ल्यू 5, देवकिशन पुत्र धूली लाल पी डब्ल्यू 6, रामकल्याण पुत्र पन्ना लाल पी डब्ल्यू 7, मदन लाल पुत्र पन्ना लाल पी डब्ल्यू 8, हीरा लाल पुत्र लालाराम पी डब्ल्यू 9, बाबू लाल पुत्र पन्ना लाल पी

डब्ल्यू 10 कराये गये, मौका रिपोर्ट पटवारी एवं नक्शा ट्रेस ग्राम दड़ा पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श नहीं करवाया गया है । अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में पत्रावली जिरह में दिनांक 14.12.2016. 15.02.2017, 29.06.2017, 27.04.2017, 26.06.2017 को नियत थी और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 20.06.2017 को निर्णीत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जिरह में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । धारा 251 क इस प्रकार है :–

(251क.) अन्य खातेदार की जोत में से हाकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – 1 जहॉ –

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है ; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहॅुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से हाकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसी अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(।) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है; और

(।।) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निम्नानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाकर एवं इस बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुए कि रेस्पोडेंट प्रार्थी को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं तथा अपीलांट के खेत में से रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है यह भी जांच करें कि रेस्पोडेंट पूर्व में अपने खाते में जमीन में किस प्रकार आते जाते रहे हैं । उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (क) के नियमों को मध्य नजर रखकर पुनः प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा